न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 182 सन 2019
अनवान :–

1. राजू ढील पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रजोदेवी पत्नी कनीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 10/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/97 के खसरा न0 91/5.1090हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सहीराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सहीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सहीराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र कनीराम व उनके भाईयो के नाम से नाम से दर्ज हुई थी वादी के चाचा गोरीशंकर ने भूमि का बेचान कर दिया है जिसका 0.0735हैक भूमि ही शेष है जो जमाबन्दी में दर्ज है तथा रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 25/25 के खसरा न0 71 की 13.4050हैक में से 1/6 हिस्सा वादी के पिता कनीराम के नाम से दर्ज है

वादी के पिता कनीराम दावा पेश करने की तारीख से करीब 6 वर्ष पूर्व तिर्थयात्रा का कह कर घर से निकले थे उसके पश्चात आज तक वापिस नही आये है उसकी गुमशुद्दी की रिपोर्ट भी थाना में दर्ज करवाई गई थी सभी जगह इश्तहार बाजी रिश्तेदारों में ढुढा किन्तु आदिनांक तक वादी के पिता कनीराम का कोई अता पता नही चला है अर्थात वादी के पिता कनीराम का देहान्त (सिविल डैथ) हो चुकी है।

वाद भूमि सहीराम वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो कनीराम की पत्नि है वाद भूमि का कोई लाभ राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का नही उठा पा रहे है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने पिता कनीराम के नाम से दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा का अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया-प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

की उसके पति कनीराम के नाम से वाद भूमि दर्ज है जो आज से करीब 6 साल पूर्व घर से तीर्थयात्रा का कहकर गये थे आज तक वापस नही आये है ना ही परिवार रिश्तेदारा एवं जान पहचान के लोगो ने कनीराम को कही पर देखा है पुलिस थाना में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई किन्तु कनीराम का कोई अता पता नही चला है अर्थात कनीराम की सिविल डैथ हो चुकी है कनीराम के नाम से दर्ज भूमि उनके पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से उसके पति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/97 के खसरा न0 91/5.1090हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सहीराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सहीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सहीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र कनीराम व उनके भाईयो के नाम से नाम से दर्ज हुई थी वादी के चाचा गोरीशंकर ने भूमि का बेचान कर दिया है जिसका 0.0735हैक भूमि ही शेष है जो जमाबन्दी में दर्ज है तथा रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 25/25 के खसरा न0 71 की 13.4050हैक में से 1/6 हिस्सा वादी के पिता कनीराम के नाम से दर्ज है

वादी के पिता कनीराम दावा पेश करने की तारीख से करीब 6 वर्ष पूर्व तिर्थयात्रा का कह कर घर से निकले थे उसके पश्चात आज तक वापिस नही आये है उसकी गुमशुद्दी की रिपोर्ट भी थाना में दर्ज करवाई गई थी सभी जगह इश्तहार बाजी रिश्तेदारों में ढुढा किन्तु आदिनांक तक वादी के पिता कनीराम का कोई अता पता नही चला है अर्थात वादी के पिता कनीराम का देहान्त (सिविल डैथ) हो चुकी है।

वाद भूमि सहीराम वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो कनीराम की पत्नि है वाद भूमि का कोई लाभ राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का नही उठा पा रहे है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने पिता कनीराम के नाम से दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा का अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत एवं एआई आर 1967 साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 107 ,108 पेज 6–8 पेश कर निवेदन किया की लापता/गायब जिसका कोई अता पता ना हो को साक्ष्यों के आधार पर मृतक माना जाकर जायज वारिसान सम्पति पाने के अधिकारी होगे एवं कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/97 के खसरा न0 91/5.1090हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सहीराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसके पिता कनीराम आज से छ साल पूर्व घर से निकले थे जो आज तक काफी खोजबीन करने पुलिस थाना में गुमशुद्दी दर्ज करवाने के उपरान्त भी

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

कोई अता पता नही चला है अर्थात उसके पिता की मृत्यू (सिविल डैथ) हो चुकी है इसलिये उसके पिता के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो ही हकदार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद का कथन स्वीकार है क्योकि उसके पति कनीराम घर से निकलने के बाद आज तक किसी भी व्यक्ति रिश्तेदार ने नही देखा है गुमशुदगी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चला है अर्थात उसके पति की सिविल डैथ होना स्वीकार है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति का सात सालों तक तालाश /गुमशुद्वी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी नही हो तो उसकी सिविल डैथ होनी मानी जा सकती है हस्तगत प्रकरण में भी कनीराम का भी पिछले सात सालो से कोई अता पता /जानकारी गुमशुद्वगी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी प्राप्त नही होना सिविल डैथ की परिभाषा में आती है वादी ने कनीराम के लापता होने के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों के ब्यान भी करवाये गये है जिसके अनुसार कनीराम का काई अता पता नही है अर्थात कनीराम की सिविल डैथ हो चुकी है।

कनीराम के नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सहीराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से कनीराम के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का कनीराम के साथ बराबर का हक हिस्सा है जो वादी पाने का अधिकारी है उक्त कथनों को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जो कनीराम की पत्नि है ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है।

कनीराम के सिविल डैथ मानी जाने पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है यदि कनीराम जीवित होता तो उसकी पत्नि किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही होती सिविल डैथ माने जोने के कारण कनीराम के हक हिस्सा की भूमि उसकी पत्नि को प्राप्त हो रहा है। कनीराम को मान भी लिया जावे की वह कभी वापस आ सकता है तो उसके हक हिस्सा को सुरक्षित रखने के लिये उसकी पत्नि को प्राप्त होने वाली भूमि प्रतिवादी संख्या 1 आगामी तीन वर्षो तक बैय नही करने हेतु पाबन्द किया जा सकता है वादी को उसके हकों से महरूम किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त कथनों के सम्बुध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्त एआईआर प्रकरण पर चस्पा होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता सख्या 94/91 की कुल 4.2575हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 25/25 की कुल 13.4050हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि कनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि को आगामी 3 वर्षो तक बेचान नही करेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजू ढील पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रजोदेवी पत्नी कनीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद-संख्या 182 सन 2019 निर्णय दिनांक– 10/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 94/91 की कुल 4.2575हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 25/25 की कुल 13.4050हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि कनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि को आगामी 3 वर्षो तक बेचान नही करेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner